वधिानसभा सदस्य की अयोग्यता

प्रलिम्सि के लयि:

प्रथम सूचना रपिोर्ट (FIR), **वधिान सभा सदस्य की अयोग्यता और** नलिंबन, **संवधिान का अनुच्छेद 191,** लोक प्रतनिधित्वि अधनियिम, 1951

मेन्स के लयि:

लोक प्रतनिधित्वि अधनियिम, 1951 का महत्त्व, वधियक की अयोग्यता के लयि वभिन्नि आधार

सरोत: द हदिू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तमलिनाडु के एक मंत्री को **आय से अधकि संपत्ति** मामले में दोषी ठहराया गया।

- उच्च न्यायालय का यह नरि्णय वर्ष 2011 में संबद्ध मामले में प्रथम सूचना रपिोर्ट (FIR) दर्ज होने के 12 वर्ष उपरांत आया है। मंत्री को अब दोषसद्धि सि मुक्त नि मलिने तक अपनी सज़ा के कारण वधिान सभा (MLA) के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषति कयिा गया है।

नोट:

- आय से अधकि संपत्ति का उपयोग भारत में **कसिी व्यक्ति की शुद्ध आर्थकि परसिंपत्तयिों** का वर्णन करने के लयि कयिा जाता है जो उनके पास मौजूद परसिंपत्तयिों से काफी अधकि है।
  - यह उनके पास पहले से मौजूद परसिंपत्तयिों तथा आय के सभी वधिकि स्रोतों का परकिलन करने के बाद की स्थति किो दर्शाता है।

वधिानसभा के सदस्य की अयोग्यता के लयि क्या प्रावधान हैं?

- **अनुच्छेद 191:**
  - भारत के संवधिान का अनुच्छेद 191 **राज्य वधिानसभा** अथवा वधिानपरषिद **की सदस्यता के लयि अयोग्यता** से संबंधति है।
  - कोई व्यक्ति कसिी राज्य की वधिान सभा या वधिान परषिद का सदस्य चुने जाने के लयि और सदस्य होने के लयि अयोग्य होगा-
    - यद वि्ह भारत सरकार या **पहली अनुसूची** में वनिर्दिष्ट कसिी भी राज्य की सरकार के अधीन कोई **लाभ का पद** धारण करता है, जब तक कि वधिानमंडल से वधि द्विारा पद धारण करने की छूट नहीं मलि जाती है।
    - कसिी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा **वकिृतचति्त** घोषति कर दयिा जाता है।
    - यद वि्ह अनुन्मोचति **दवािलयिा** है।
    - यद वि्ह **भारत का** नागरकि **नहीं** है अथवा उसने स्वेच्छा से कसिी वदिेशी राज्य की नागरकिता स्वीकार कर ली है अथवा वह कसिी वदिेशी राज्य के प्रत निष्ठिा रखता है अथवा उसका पालन करता है।
    - यद वि्ह संसद **द्वारा नरि्मति कसिी वधि द्विारा अथवा उसके अधीन अयोग्य** घोषति कयिा जाता है।
    - संवधिान की दसवीं अनुसूची के तहत कसिी व्यक्ति को दलबदल **के आधार** पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसमें चुनाव से पहले अथवा बाद में दल की संबद्धता बदलना शामलि है।
- **लोक प्रतनिधित्वि अधनियिम (RPA), 1951:**
  - **जन प्रतनिधित्वि अधनियिम, 1951** की धारा 8(1) के अनुसार, **भ्रष्टाचार नवािरण अधनियिम (PCA), 1988** के तहत अपराध हेतु दोषी ठहराए गए वधियक को दोषसद्धि कि तारीख से छह वर्ष के लयि अयोग्य घोषति कयिा जाना चाहयि, यद सिज़ा जुर्माने तक सीमति है।
    - हालाँक यिद कसिी वधियक को PCA, 1988 के तहत कसिी भी अवध कि कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, तो अधनियिम के अनुसार, **उसे दोषसद्धि की तथि सि कारावास की पूरी अवध तिक और रहाई की तथि सि छह वर्ष** की अतरिक्ति अवधि

तक के लिये अयोग्य ठहराया जाना चाहिये।

- लेकिन [निवारक निरोध]() कानून के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत अयोग्यता नहीं है।
- **अयोग्यता से केवल तभी बचा जा सकता है जब दोषसिद्धि न कि केवल सज़ा, रोक दी जाए या रद्द कर दी जाए।**

◦ व्यक्ति को **चुनाव में कुछ चुनावी अपराधों या भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया** जाना चाहिये।

- **व्यक्ति को भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिये सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया होना चाहिये।**

◦ व्यक्ति को विभिन्न **समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्वतखोरी के** अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया गया हो।
◦ व्यक्ति समय के भीतर अपने **चुनाव खर्च का लेखा-जोखा दाखिल करने में विफल नहीं** होना चाहिये।
◦ व्यक्ति को सरकारी ठेकों, कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि नहीं होनी चाहिये।
◦ व्यक्ति को निदेशक या प्रबंध एजेंट नहीं होना चाहिये और न ही किसी ऐसे निगम में लाभ का पद धारण करना चाहिये जिसमें सरकार की **कम-से-कम 25% हिस्सेदारी हो**।
◦ उस व्यक्ति को **अस्पृश्यता, [दहेज]() और सती प्रथा** जैसे **सामाजिक अपराधों का प्रचार व** आचरण करने के लिये दंडित नहीं किया गया होगा।
◦ किसी सदस्य की अयोग्यता पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उन्हें कार्रवाई करने से पहले चुनाव आयोग की राय लेनी होगी।
◦ यदि कोई उच्च न्यायालय दोषसिद्धि पर रोक लगा देता है या दोषी सदस्य के पक्ष में अपील का फैसला करता है तो अयोग्यता के निर्णय को वापस लिया जा सकता है।

अयोग्यता निलंबन से किस प्रकार भिन्न है?

- निलंबन का अर्थ है कि **कोई व्यक्ति किसी कदाचार या नियमों के उल्लंघन के कारण अस्थायी रूप से अपनी सदस्यता खो** देता है।
- **लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 373, 374, तथा 374A उस सदस्य को पद से हटाने का प्रावधान करते हैं** जिसका आचरण **"अमर्यादित"** है और जो सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है या जानबूझकर उसके कार्य में बाधा डालता है।
  - इन नियमों के अनुसार अधिकतम निलंबन **"लगातार पाँच बैठकों या शेष सत्र के लिये, जो भी कम हो"** है।
- नियम 255 और 256 के तहत राज्यसभा के लिये अधिकतम निलंबन भी सत्र के शेष समय से अधिक नहीं है।
- इसी तरह **प्रत्येक राज्य में विधानसभा संचालन को नियंत्रित करने के अपने नियम हैं**, जिनमें विधायकों के निलंबन के प्रावधान भी शामिल हैं, जो अधिकतम निलंबन निर्धारित करते हैं जो सत्र के शेष समय से अधिक नहीं होना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न.निम्नलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1- भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिये रिपोर्ट भेजना
2- मंत्रियों की नियुक्ति करना
3- राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को, भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित करना।
4- राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नियम बनाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/disqualification-of-member-of-the-legislative-assembly